

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम डॉ. आर. सिंह परिहार
2. उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 4. वर्तमान वेतन
3. वर्तमान धारित पद
5. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिप्रेत
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
उल्कीन	भूखण्ड (1/2 part)	निरंकु	9,00,000	स्वयं	स्वयं की अर्जित धारण	निरंकु	
उल्कीन	भूखण्ड (1/2 part)	निरंकु	9,00,000	स्वयं पत्नी की अर्जित धारण	स्वयं पत्नी की अर्जित धारण	निरंकु	

- 1- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- 2- ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- 3- इसमें अत्यंतालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पहली-नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा तसे विनाश में किसी भी कारण से नष्ट हो जाने पर भी भर कर प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर
 पदनाम
 नाम
